राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 226/2014/अलवर

मैसर्स सौरभ एग्रोटेक प्रा.लि.,
अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, अलवर। ......प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
अभिभाषक ......प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा संशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या 03/आरवेट/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–बी, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् प्रार्थना पत्र को धारा 33 के तहत् नहीं मानकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर दिया।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी खाद्य तेल का निर्माता एवं विक्रेता है। आयुक्त महोदय के परिपत्र के अनुसरण में व्यवहारी को अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत सरसों तेल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल सरसों की खरीद पर चुकाये गये आगत कर राशि के Early Refund विभाग द्वारा जारी किये गये थे, इस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा Early Refund राशि समय पर प्रदान नहीं किये जाने के संदर्भ में सशक्त अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.10.2013 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के

लगातार...............2

विरूद्ध धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे भी अस्वीकार कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रिफण्ड पर ब्याज समय पर प्राप्त करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि धारा 33 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का निर्णय एक वर्ष के भीतर करना आवश्यक होता है, इस बाबत् विभाग द्वारा धारा 33 के अन्तर्गत एक वर्ष के भीतर कोई निर्णय पारित नही किया। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वतः स्वीकार योग्य था, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा धारा 53(4) के अन्तर्गत बताकर दिनांक 20.12.2012 निर्णय कर दिया, जो कि काफी विलम्ब से था। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधिनियम की धारा 53(4) में रिफण्ड एवं उस.पर देय ब्याज के संबंध में प्रावधान किये गये हैं, एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 53(4) के अन्तर्गत आता है, न कि धारा 33 के अन्तर्गत, अतः प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा 53(4) के अन्तर्गत मानकर निर्णित किया गया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

7. रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रिफण्ड पर विलम्ब ब्याज हेतु प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूंकि रिफण्ड पर ब्याज प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 53(4) के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो अपीलीय अधिकारी द्वारा रिफण्ड पर ब्याज हेतु प्रंस्तुत आवेदन पत्र को धारा 33 में नहीं मानकर जो आदेश पारित किया है, वह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

8. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 16.12.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य